

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-774/ग्यारह-9(135)/2015-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(159)-2016
लखनऊ:दिनांक: 02 जून, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 03 जून, 2016 से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2757/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(31)-2008 दिनांक 29 सितम्बर, 2008 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में, कम संख्या 14 पर दी गयी प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात:-

कम संख्या	माल का विवरण	कर की दर
1	2	3
15.	एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड और अनलैमिनेटेड बैग्स और एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड और अनलैमिनेटेड फ़ैब्रिक्स	माल के मूल्य का पाँच प्रतिशत

जी नो 21/1
02.06.16
S.C. (Vedh)

आज्ञा से,
(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।